मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांकः 05.08.2022

मीरजापुर पुलिस द्वारा गांजा तस्कर गिरफ्तार, मैक्सवाहन में लदा 15.132 किग्रा अवैध गांजा(अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब ₹ 01 लाख 05 हजार) बरामद —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 04.08.2022 को थानाध्यक्ष हलिया मय पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वस्तुओंएवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि इस दौरान हनुमना की तरफ से आ रही मैक्स वाहन संख्याः यूपी 63 एल 1570 को रोककर चेक किया गया तो वाहन में लदा 03 बंडलों में रखा कुल 15.132 किग्रा अवैध गांजा बरामद करते हुए एक अभियुक्त विमलेश कुमार मिश्र पुत्र गिरजा प्रसाद मिश्र निवासी मिसिरपुर थाना हनुमना जनपद रीवां, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हलिया पर मु0अ0सं0- 120/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया तथा वाहन मैक्स के सम्बन्ध में कोई वैध कागजात प्रस्तुत न करने पर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज भी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त विमलेश कुमार मिश्र द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर गांजा बिक्री करने का काम करता है जो हनुमना मध्य प्रदेश से गांजा लेकर बिक्री करने हेतु कोरांव प्रयागराज जा रहा था कि पकड़ा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

विमलेश कुमार मिश्र पुत्र गिरजा प्रसाद मिश्र निवासी मिसिरपुर थाना हनुमना जनपद रीवां , मध्य प्रदेश।

बरामदगी विवरण—

- कुल 15.132 किग्रा अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब ₹ 01 लाख 05 हजार)
- मैक्स वाहन संख्याः UP 63 L 1570.

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

थानाध्यक्ष हलिया- अनिल कुमार सिंह मय टीम।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा पुलिस टीम को ₹ 10 हजार के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।